रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 169] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 20, 1972/आषाढ़ 29, 1894
No. 169] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 1972/ASADHA 29, 1894

इस भाग मे भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th July 1972

SUBJECT.—*Dock strike in Japan—Revalidation of import licences.*

No. 107-ITC(PN)/72.—It has been reported that shipment of goods from ports ports in Japan has been delayed/affected following a dock strike in Japan from April, 1972.

2. The question of revalidation of import licences affected by the dock strike has been considered and it has been decided that the import licences which expired during the period April-June, 1972 and against which shipments could not be made due to dock strike in Japan, may be deemed to have been revalidated upto 30th September, 1972.

3. In the case of licences issued under Yen Credit, extension in the validity period of licences will be limited upto 30th September, 1972 or the terminal date applicable to such credits, whichever is earlier.

4. It will not be necessary for the licence holders to approach the licensing authorities for revalidation of licences under this Public Notice. The Customs authorities will, on the basis of this Public Notice treat the licences as having been revalidated accordingly.

5. No grace period of 30 days will be allowed in respect of such revalidated licences.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1972

विषय .—जापान में गोदी हड़ताल—आयात लाइसेंसों का पुनर्वैधीकरण ।

सं० 107-आई० टी० सी० (पी एन)/72.—यह प्रतिवेदन किया गया है कि अप्रैल, 1972 से जापान में गोदी हड़ताल होने के कारण जापान में पत्तनों से माल का लदान विलम्बित/प्रभावित हुआ है ।

2. गोदी हड़ताल से प्रभावित हुए आयात लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि ऐसे आयात लाइसेंस जो अप्रैल, जून, 1972 अवधि के दौरान समाप्त हो गए हैं और जिनके मद्दे, जापान में गोदी हड़ताल होने के कारण पोत लदान नहीं किया जा सका वे 30 सितम्बर, 1972 तक पुनर्वैध किए गए समझे जायें ।

3. येन क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों के मामले में, लाइसेंसों की वैधता अवधि में वृद्धि 30 सितम्बर, 1972 या ऐसे क्रेडिट के लिए लागू अन्तिम तिथि, इन में जो भी पहले हो, तक सीमित होगी ।

4. प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे लाइसेंसों के पुनर्बंधीकरण के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों को पहुंच करें। सीमाशुल्क प्राधिकारी प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के आधार पर ऐसे लाइसेंसों को तदनुसार पुनर्बंध किए गए मानेंगे।

5. ऐसे पुनर्बंधीकृत लाइसेंसों के लिए 30 दिन की रियायती अवधि की स्वीकृति नहीं दी जायेगी

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972